भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3179

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विशेष कैंसर वार्ड

3179. कुमारी सैलजा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा राज्य में कैंसर रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) हरियाणा के विभिन्न जिलों में ऐसे रोगियों के इलाज के लिए स्थापित किए गए विशेष कैंसर वार्डों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) हरियाणा में प्रवेश करने वाली घग्गर नदी का प्रदूषित पानी राज्य में कैंसर फैलाने में किस हद तक जिम्मेदार है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त नदी के पानी को साफ करने के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार देश में बीपीएल परिवारों के कैंसर रोगियों को कोई विशेष सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार, गत पांच वर्षों (2019-2023) के दौरान हरियाणा में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या निम्नवत है:-

हरियाणा में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या (2021-2023) – स्त्री-पुरूष दोनों में *					
वर्ष	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
हरियाणा में कैंसर के मामले पाए जाने वाले सभी स्थानों पर मामलों की अनुमानित संख्या	1486	1536	1580	1630	1678

(ख): हिसार, करनाल, नूह, सोनीपत और रोहतक जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कैंसर परिचर्या सुविधा केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, भादसा जिला झज्जर में व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत, केंद्र और राज्य हिस्सेदारी (60:40) के आधार पर उप-मंडल सिविल अस्पताल (एसबीसीएच), अम्बाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर (एसीसीसी) स्थापित किया गया है। यह कैंसर के उपचार के लिए नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है और इसमें न केवल हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्यों के जरूरतमंद रोगियों को भी व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) कार्यान्वित किया जा रहा है। एनपी-एनसीडी के तहत, 22 जिला एनसीडी क्लीनिक, 157 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक और पंचकूला, अंबाला, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 5 जिला कैंसर डे केयर सेंटर कार्यशील हैं।

(ग) और (घ): आईसीएमआर ने सूचित किया है कि मानव स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन के संबंध में भारतीय विज्ञान अकादमी में प्रकाशित कौर एवं अन्य, 2024 द्वारा किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट से पता चला है कि नदी अपवाह के आस-पास रहने वाले लोगों में कैंसर का रोग होने की संभावना अधिक होती है और यहां पर जोखिम की संभावना थ्रेशोल्ड सीमा से अधिक पाई जाती है जिससे उच्च गैर-कार्सिनोजेनिक जोखिम होता है। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि ऐसे स्थानों पर सीसा, लोहा और एल्यूमीनियम की मात्रा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (भारत) की अनुमेय सीमा से अधिक होती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के समन्वय से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) नामक जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। घग्घर नदी की निगरानी संबंधित एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा पंजाब में 18 स्थलों और हरियाणा में 9 स्थलों पर की जाती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि वर्ष 2023 के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्य में घग्घर नदी के जल गुणवत्ता निगरानी निष्कर्षों के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2023 में पंजाब और हरियाणा राज्य में निगरानी किए गए सभी स्थानों पर बाहर स्नान के लिए घग्घर नदी का जल अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप नहीं है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाया कि घग्घर नदी का जल पीने योग्य नहीं है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, घग्घर नदी के संरक्षण के लिए पंजाब के विभिन्न शहरों में 15 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई थी। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि घग्घर नदी के आवाह क्षेत्र में आने वाले शहरों से अपशिष्ट जल का शोधन करने के लिए कुल 291.7 एमएलडी क्षमता के 28 एसटीपी स्थापित किए गए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि घग्घर कार्य योजना के अंतर्गत राज्य में नदी आवाह क्षेत्र में 588 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

(ङ): सरकारी संस्थानों में कैंसर का उपचार या तो निशुल्क अथवा रियायती दर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की छत्रक स्कीम के स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि घटक के अंतर्गत गरीब रोगियों को उनके कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का उद्देश्य मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। योजना की शुरुआत के बाद से, कैंसर रोगों के उपचार को लाभ पैकेजों में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कैंसर के उपचार की सभी पद्धतियों (मेडिकल ऑनकोलॉजी, सर्जिकल ऑनकोलॉजी और रेडिएशन ऑनकोलॉजी) को शामिल किया गया है।

*****